अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
19/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 88 / 2011** **रमेश चन्द्र गाड़ी बनाम् चमरा उरांव व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील संख्या–05-R15/2011-12 में आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–188 / 1992–93 में दिनांक–17.03.1997 को आदेश पारित किया गया था, जिसमें भूमि वापसी के आवेदन को अस्वीकृत किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में दिनांक–26.04.2010 को विलम्ब को क्षान्त करते हुये सुनवाई हेतु आवेदन अंगीकृत किया गया था, किन्तु 13 वर्षों के विलम्ब को किस आधार पर क्षान्त किया गया, इस संबंध में अभिलेख में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही अंतिम आदेश में भी इस विलम्ब के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। स्पष्टतः यह आदेश सामान्य न्यायिक प्रक्रियाओं के विपरीत है। प्रश्नगत् मामले में मौजा–चुरी, खाता संख्या–24, प्लॉट नम्बर–59, 60, 61, 182, 248 एवं 249 कुल रकबा–4.77 एकड़ के भूमि वापसी का विषय सन्निहित है। मूलतः दिनांक–29.08.1994 को प्लॉट नम्बर–59 के 08 डिसमिल भूमि को छोड़कर शेष भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में बिरसा उरांव के द्वारा अपील संख्या–48-R15/1994-95 दायर किया गया। उक्त वाद में अपीलीय न्यायालय द्वारा 04 बिन्दुओं पर पुनर्विचार करने हेतु वाद को पुर्नप्रेषित किया गया। किन्तु विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा इस आदेश में उल्लेखित 04 बिन्दुओं पर कोई विशिष्ट सुनवाई नहीं की गयी एवं भूमि वापसी के आवेदन को रद्द कर दिया गया। खतियान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत्	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

भूमि खतियान में बंधना उरांव, थिबू उरांव, लक्षु उरांव, छोटका गोगा उरांव, महरू उरांव के नाम से कायमी दर्ज है। वर्तमान आवेदक बिरसा उरांव अपने आप को फागु उरांव का वंशज बताते है, जबकि विपक्षी खतियानी रैयत थिबू उरांव के पुत्र है। प्रश्नगत् भूमि को लेकर उभयपक्षों के बीच Title Suit-129/175/1975-76 दायर हुआ था, जो खारिज हो गया। एक अन्य Title Suit-477/1964 सोमरा उरांव एवं थिबू उरांव के बीच दायर हुआ, जिसमें समझौता के आधार पर डिक्री प्राप्त की गयी। पुनः बिरसा उरांव के द्वारा एक Title Suit-09/1986 शेख मिस्टी एवं अन्य के विरूद्ध दायर किया गया। उक्त Title Suit में 08 डिसमिल भूमि का विषय सम्मिलित था। पुनः Title अपील क्रमांक–25/1997 एवं 35/1997 दायर हुये, जो खारिज कर दिये गये। सुकरा उरांव एवं सोमरा उरांव के बीच पुनः Partition Suit No.-129/175/1975-78 दायर किया गया था, जिसमें कुल–6.67 एकड़ भूमि जो खाता नम्बर–24 में अवस्थित है, का विषय सन्निहित था। उक्त Partition Suit भी खारिज कर दिया गया। Revisional Survey के दौरान संयुक्त खाते में भूमि को दर्ज करते हुये सभी खातेदारों के हिस्से खतियान में दर्ज किये गये है। आवेदकों का दावा है कि सम्पूर्ण 4.77 एकड़ भूमि 1943–44 में निबंधित केवाला से हस्तांतरित की जा चुकी है।

उभयपक्षों की सुनवाई तथा अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् वाद का विषय भूमि के अवैध हस्तांतरण का नहीं माना जा सकता। इस वाद में मुख्यतः विभिन्न हिस्सेदारों के बीच भूमि का बंटवारा का विषय सन्निहित है, जिसे धारा–71 ए के तहत् भूमि वापसी का मामला बनाकर प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त खतियान में सभी प्लॉट के सामने ब–कब्जे इन्द्राज स्पष्ट है, अतः सभी हिस्सेदारों को खतियान के अनुसार अपने हिस्से पर अधिकार प्राप्त है। 1992 में उक्त भूमि पर भूमि–वापसी का दावा करते हुये

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	मूलतः अपने स्वत्व को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। अपर समाहर्त्ता के न्यायालय से पुर्न–प्रेषण के पश्चात् विशेष पदाधिकारी द्वारा निर्धारित 04 बिन्दुओं पर विचार नहीं करते हुये एक अलग आदेश पारित कर दिया गया। उभयपक्षकारों के बीच भूमि का कोई विधिवत भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है तथा भूमि का अवैध दखल/कब्जा का भी कोई प्रमाण नहीं है। अपर समाहर्त्ता द्वारा पुनः Title Suit – 466/1964 को समझौता की डिक्री मानते हुये उसे अमान्य किया गया है। प्रश्नगत् वाद को धारा–71ए के प्रावधानों के तहत् विचार किया जाना पूर्णतः अनुचित है। यह विषय आवेदक तथा विपक्षियो के पुस्तैनी भूमि पर स्वत्व एवं अधिकारों के निर्धारण से संबंधित है, जिस पर सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा ही विचार किया जा सकता है। वर्णित परिस्थिति में निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाता है। उभयपक्ष सक्षम व्यवहार न्यायालय से अपने स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.23 15:03:29 +05:30
Location: 192.168.1.40